उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 719 / गोपनीय / 2010 जबलपुर, दिनांक 04 अगस्त, 2010
दो–3–1 / 2010 (भाग–एक–बी)

न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक दिनांक **30–08–2010 से 04–09–2010 तक** की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य **प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग,** जबलपुर के समक्ष दिनांक **30–08–2010** को प्रातः काल ठीक **9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित** होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :–

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, **संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे,** जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, **न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण** एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक **30–08–2010** को प्रातः काल ठीक **9:30** बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें।
4. टी० ए० एवं डी० ए० केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं ।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तो का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक **0761–2628679,** पर समयावधि रहते सूचित करें ।
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए **न्यायिक अधिकारी** प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर **अस्थायी हॉस्टल** की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त **अस्थायी हॉस्टल** के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस

संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी0 ए0 एवं डी0 ए0 क्लेम करने के पात्र होगें।

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं को कराना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें। साथ ही ई–कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें।

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

5/8/10

(टी0के0 कौशल)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 720 / गोपनीय / 2010
दो–3–1 / 2010 (भाग–एक–बी)

जबलपुर, दिनांक 04 अगस्त, 2010

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भेपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. प्रधान महालेखाकार,(लेखा / हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।

4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश–ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

5.
   1. श्री विवेक कुमार मारकन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, अलीराजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अलीराजपुर,
   2. श्री अशोक कुमार गोंठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, कोतमा जिला अनूपपुर,
   3. श्री आदेश कुमार मालवीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, बैतूल,
   4. श्रीमती प्रीति सिंह, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, भोपल,
   5. श्री विवेक सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुरहानपुर,
   6. श्री अरविंद कुमार छापरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, बिजावर जिला छतरपुर,
   7. श्री मोहम्मद महमूद खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, राजनगर जिला छतरपुर,
   8. श्री हिदायतुल्ला खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान–जुन्नारदेव–जामई जिला छिन्दवाड़ा,
   9. श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, हटा जिला दमोह,
   10. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, सेवढ़ा जिला दतिया,
   11. श्री साबिर अहमद खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, कन्नौद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कन्नौद जिला देवास,
   12. श्री नरेन्द्र पटेल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मनावर जिला धार,

5/8

13. श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, डिण्डौरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, डिण्डौरी,
14. श्रीमती निशा गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, गुना,
15. श्री कंचन सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान–चाचौड़ा जिला गुना,
16. श्री आशुतोष शुक्ला, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, सोहागपुर जिला होशंगाबाद,
17. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, इंदौर,
18. श्री संजय कुमार शाही, अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, जबलपुर,
19. कुमारी सविता जड़िया, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, जबलपुर,
20. श्री संजय राज ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मण्डला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान–नैनपुर जिला मण्डला,
21. श्री राम कुमार डहेरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, निवास जिला मण्डला,
22. श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मंदसौर,
23. कुमारी शालिनी शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मुरैना,
24. श्री प्रदीप राठौर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मनासा जिला नीमच,
25. श्री सुखराम सीनम, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, जावरा जिला रतलाम,
26. श्री धनराज दुबेला, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, ब्यावरा जिला राजगढ़,
27. श्री त्रिवेणी प्रसाद सौंधिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, बीना जिला सागर,
28. श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, नागौद जिला सतना,
29. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर,
30. श्रीमती निशा विश्वकर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, लखनादौन जिला सिवनी,
31. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, सिवनी,
32. श्री खालिद मोहतरम अहमद, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान–जयसिंहनगर जिला शहडोल,
33. श्री संदीप श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, श्योपुर,
34. श्रीमती नीतूकांता वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, करैरा जिला शिवपुरी,
35. श्री राम प्रकाश कतरौलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, पिछोर जिला शिवपुरी,
36. श्री विकास भटेले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, निवारी जिला टीकमगढ़,
37. श्री अनिल चौधरी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, ओरछा जिला टीकमगढ़,
38. श्री वंदन मेहता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, तराना जिला उज्जैन,
39. श्री रूपम वेदी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, सिरौंज जिला विदिशा,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । उक्त सभी न्यायिक अधिकारियों, को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होवें।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर/ अनूपपुर/ बैतूल/ भोपाल/ बुरहानपुर/ छतरपुर/ छिन्दवाड़ा/ दमोह/ दतिया/ देवास/ डिण्डौरी/ गुना/ होशंगाबाद/ इंदौर/ जबलपुर/ मण्डला/ मंदसौर/ मुरैना/ नीमच/ रतलाम/ राजगढ़ (ब्यावरा)/ सागर/ सतना/ सीहोर/ सिवनी/ शहडोल/ श्योपुर/ शिवपुरी/ टीकमगढ़/ उज्जैन/ विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित न्यायिक अधिकारियों को संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

7. जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर–452001/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) / (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (I. L. R. & Examination), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

12. रजिस्ट्रार (व्ही0एल)/ (जिला स्थापना)/ (न्यायिक–1) (न्यायिक–2)/ (प्रशासन)/ (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (Exam & Labour Judiciary)/ अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (आई0टी0)/ रजिस्ट्रार एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/(न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

13. रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14. संचालक/अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

15. माननीय न्यायाधिपति श्री ------------------------ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

16. रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

5/8

(टी0के0 कौशल)
रजिस्ट्रार जनरल